पत्रांकः 7895 /पी.आई.डी.-35/वेब पोर्टल/2023-24/(Vol-1)

प्रेषक,

महानिदेशक,
संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित
परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0,
16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
ई-मेलः directorgeneral.difup@gmail.com

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

दिनांकः 18 दिसम्बर, 2023

विषयः उ0प्र0 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम- 2016 के अन्तर्गत पीआइडी पोर्टल पर भू-सम्पदा से संबंधित कारबार/निर्माणकर्ताओं का पंजीकरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम- 2016 की धारा- 10 (प्रति संलग्न) के प्राविधानों के क्रम में संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा विकसित पोर्टल पर समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा भू-सम्पदा से संबंधित कारबार/निर्माणकर्ताओं का पंजीकरण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आपसे अनुरोध है कृपया अपने जनपद के सभी भू-सम्पदा से संबंधित कारबार/निर्माणकर्ताओं से समन्वय स्थापित करते हुये उनका पंजीकरण 07 दिवस के अन्दर पी.आई.डी. पोर्टल https://pidgr.in पर कराने का कष्ट करें, साथ ही यह भी अपेक्षित है कि उक्त कार्य के अनुश्रवण हेतु संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के प्रथम श्रेणी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये नामित अधिकारी का विवरण इस महानिदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाये।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(शिव सिंह यादव)
महानिदेशक।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन अभिहित न्यायालय के आदेशों द्वारा इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्ति के विक्रय अथवा उपनियम (1) के अधीन सम्पत्ति के विक्रय पर प्राप्त समस्त आय, प्राप्त विक्रय आगमों और प्राप्त प्रबंधकृत और निस्तारित सम्पत्ति के लिए उपगत व्ययों के अभिलेखों को अनुरक्षित रखेगा, और उन्हें समय-समय पर अभिहित न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

9-किसी फरार व्यक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्ति-जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही अनुध्यात हो फरार हो गया है या जिसके फरार होने की सम्भावना हो या स्वयं को छिपा रहा हो, वहां सक्षम प्राधिकारी तत्काल अभिहित न्यायालय को लिखित रूप में ऐसी सूचना देगा।

10-वित्तीय अधिष्ठान द्वारा प्रतिवेदन एवं विवरणी पंजीकृत किया जाना और दाखिल किया जाना-(1) उत्तर प्रदेश राज्य में कारबार करने वाला प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान, प्ररूप-1 में विवरणी प्रस्तुत करके महानिदेशक से पंजीकरण करायेगा। वित्तीय अधिष्ठान, एक साथ विवरणी की प्रति, कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगा, जिसकी अधिकारिता में वित्तीय अधिष्ठान ने उत्तर प्रदेश राज्य में अपना कारबार प्रारम्भ करने के दिनांक से सात दिन के भीतर अपना कारबार प्रारम्भ किया है या कार्यान्वित किया है और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व अपना कारबार कर रहे हों, इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से सात दिन के भीतर प्ररूप-1 में पंजीकृत किये जायेंगे। इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि विनिर्दिष्ट रूप में समस्त वास्तविक भू-सम्पदा से संबंधित कारबार/निर्माणकर्ता सम्मिलित हो सकें, जिस संबंध में क्रेताओं/विनिधानकर्ताओं से धन संबंधी/मौद्रिक विचार-विमर्श किया गया हो। ऐसे भू-सम्पदा संबंधी कारबार/निर्माणकर्ताओं को उत्तर प्रदेश राज्य में अपने क्रिया-कलापों से संबंधित सूचना प्रस्तुत करना होगा। महानिदेशक, इस नियमावली से अनुलग्न प्ररूप-3 में समस्त पंजीकृत वित्तीय अधिष्ठानों का अभिलेख अनुरक्षित करेगा।

(2) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान का यह कर्तव्य होगा कि वह महानिदेशक, कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को प्ररूप-1 में उपलब्ध कराये गये किसी विवरण के संबंध में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तन होने के पश्चात् सात दिन के अंतर्गत सूचित करे।

(3) प्रत्येक वित्तीय अधिष्ठान, किसी वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के समाप्त होने के एक माह के भीतर प्ररूप-2 में महानिदेशक को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के प्रत्येक त्रैमास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर और उसके बाहर पूंजी विनिधान की अवस्थिति, वित्तीय स्थिति, विनिधान क्षेत्र सहित कारबार से संबंधित विवरण दर्शाया जायेगा।

(4) जो कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट या विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है। महानिदेशक पन्द्रह दिन की नोटिस देने के पश्चात् संबंधित वित्तीय अधिष्ठान पर उक्त जुर्माना अधिरोपित करेगा।

(5) महानिदेशक, वित्तीय अधिष्ठानों के कारबार और वित्तीय स्थिति, विनिधान के विवरण और अन्य विशिष्टियों के संबंध में जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय अधिष्ठानों का अप्रतिवेदित या छिपे हुए क्रिया-कलापों जो प्रकाश में लायें जायें, के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गयी है। इस प्रयोजन के लिए महानिदेशक, व्यतिक्रमी वित्तीय अधिष्ठान की जांच के लिए एक जांच अधिकारी के नेतृत्व में पदाधिकारी/पदाधिकारियों की एक टीम गठित कर सकता है। संबंधित जिले का कलक्टर और पुलिस अधीक्षक, उस जिले, जिसमें वित्तीय अधिष्ठान द्वारा कारबार किया जा रहा हो, में संबंधित अधिकारिता के क्षेत्राधिकारियों/निरीक्षकों/उपनिरीक्षकों सहित आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेगा।

(6) उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के प्रयोजन से महानिदेशक द्वारा किसी जिले का दौरा करने के दौरान उस जिले का कलक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उसके साथ रहेगा और उसकी सहायता करेगा। महानिदेशक, जब भी आवश्यक समझा जाये, कलक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की बैठक बुला सकता है जिसमें इन पदाधिकारियों की उपस्थिति आज्ञापक होगी।

11-सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष लोक अभियोजक की सहायता किया जाना-सक्षम प्राधिकारी, अभिहित न्यायालय में मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक को ऐसी सहायता, प्रदान करेगा जैसा कि अपेक्षित हो।

12-वेब आधारित पोर्टल की स्थापना और अनुरक्षण-महानिदेशक, एक वेब आधारित पोर्टल अनुरक्षित करेगा जिसका उपयोग शिकायतों को दाखिल करने और वित्तीय अधिष्ठानों से संबंधित ऐसी सूचना, जैसी आवश्यक समझी जाये, प्रदर्शित करने के लिए किया जायेगा।